



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 14 मई, 2019 / 24 वैशाख, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th May, 2019

No. HHC/GAZ/14-58/75-XIV.—It is hereby notified for Information of the Civil Judges concerned that the 71st Departmental Examination under Rule 18 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 will be held in the premises of the High Court, Shimla-171 001 on the following dates:—

Date	Paper/Subject	Time
Thursday 27-06-2019	Criminal Law	10.00 A.M. to 1.00 P.M.
	Civil Law	2.00 P.M. to 5.00 P.M.
Friday 28-06-2019	Revenue Law-I	10.00 A.M. to 1.00 P.M.
	Revenue Law-II	2.00 P.M. to 5.00 P.M.
Saturday 29-06-2019	Accounts	10.00 A.M. to 1.00 P.M.
	Constitutional Law	2.00 P.M. to 5.00 P.M.

By order,
Sd/-
Secretary Departmental
Examination Committee.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 30th April, 2019

No. HHC/GAZ/14-53/74-VI.—Pursuant to appointment of Shri Nitin Kumar as Additional District and Sessions Judge *vide* H.P. Government Notification No. Home.B.A(2)11/2006- HC-Vol-II-Loose, dated 26-04-2019, he is posted as Additional District and Sessions Judge-II, Shimla for the purpose of drawing salary etc. with immediate effect.

He shall undergo two months induction/practical training *i.e.* one month at the H.P. Judicial Academy, Ghandal, Shimla and one month in the District Courts, Shimla.

*By order of Hon'ble High
Court of Himachal Pradesh.*

ब अदालत प्रेम सिंह, उप-पंजीकाध्यक्ष, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि० प्र०

ब मुकदमा शीर्षक :

श्री मुहम्मद असलम, श्री जाहिद अखतर पुत्रगण स्व० श्री मेहर अली, निवासी गांव छातर, डा० जुगाहण, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि० प्र० प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

..... प्रत्यार्थीगण।

श्री मुहम्मद असलम, श्री जाहिद अखतर पुत्रगण स्व० श्री मेहर अली, निवासी गांव छातर, डा० जुगाहण, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि० प्र० ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि श्रीमती नीरूम बीबी पत्नी स्व० श्री गुलाम हुसैन पुत्र श्री अली वख्श, निवासी गांव डिनक, डा० कनैड़, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि० प्र० ने प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 26-11-2017 को एक बिला पंजीकृत वसीयत करवाई थी तथा प्रार्थीगण जिसका पंजीकरण करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से उक्त प्रत्यार्थी आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त वसीयत पंजीकरण के बारा में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-05-2019 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 26-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-पंजीकाध्यक्ष,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि० प्र०।

**In the Court of Niraj Chandla (H.P.A.S), Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

Sh. Lok Chand son of Shri Karan Bahadur, resident of 26/1, Pursharthi Basti, Ganj Road Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Sh. Lok Chand son of Shri Karan Bahadur resident of 26/1, Pursharthi Basti, Ganj Road Shimla, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for registration of his date of birth **LOK CHAND, (DOB 26-01-1999)** at above address in the record of Municipal Corporation Shimla.

Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 03-06-2019 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 04th day of April, 2019.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (HPAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla.

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0

श्रीमति परमजीत कौर पुत्री श्री जोगा सिंह, वासी बढेड़ा (हाल) वासी हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)

. . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण

दरखास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना, खेवट 763, 2020, 2021, 2022, जमाबन्दी साल 2014-15 वाक्या महाल बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना।

श्रीमति परमजीत कौर पुत्री श्री जोगा सिंह, वासी हरोली, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम श्रीमती गुरचरन कौर पुत्री जोगा सिंह गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम श्रीमती गुरचरन कौर पुत्री जोगा सिंह की बजाये श्रीमती परमजीत कौर पुत्री श्री जोगा सिंह, वासी हरोली सही दर्ज किया जाये।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व या तारीख पेशी दिनांक 20-05-2019 को प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर/एतराज प्राप्त न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुना दिया जाएगा।

आज दिनांक 26-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0

श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र मूला सिंह, वासी भदौड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0

श्रीमती सुमनदीप कौर पुत्री ज्ञान चन्द, वासी सुमदडिया, तहसील नंगल, जिला रोपड़ (पंजाब)

बनाम

आम जनता

आवेदन-पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004

प्रार्थी श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र मूला सिंह, वासी भदौड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि० प्र० ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 04-09-2016 को हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न हुई है और शादी के बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-05-2019 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर उजर/एतराज पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और शादी तिथि सम्बन्धित रिकार्ड में दर्ज करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 26-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना० तह०),
हरोली, जिला ऊना, हि० प्र०।

ब अदालत श्री अपूर्व शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ऊना,
जिला ऊना (हि० प्र०)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 25-05-2019

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

रिम्पा कुमारी पुत्री श्री चमन लाल, वासी बडसाला, तहसील व जिला ऊना (हि० प्र०) सायल

बनाम

आम जनता

विषय.—दरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल बडसाला में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम रिम्पा कुमारी पुत्र श्री चमन लाल है जबकि महाल बडसाला के राजस्व अभिलेख में उसका नाम कुमारी प्रियंका पुत्री चमन लाल दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उक्त नाम को दरुस्त करके कुमारी प्रियंका उपनाम रिम्पा कुमारी पुत्री श्री चमन लाल दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 25-05-2019 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 25-05-2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

अपूर्व शर्मा,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

न्यायालय श्री नारायण सिंह चौहान, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना,
जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

श्री रोहित शर्मा पुत्र श्री वेद प्रकाश शर्मा, वासी भड़ोलियां खुर्द रोड, मलाहत नगर, वार्ड नं0 4,
तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकदमा उनवान वाला में श्री रोहित शर्मा पुत्र श्री वेद प्रकाश शर्मा, वासी भड़ोलियां खुर्द रोड, मलाहत नगर, वार्ड नं0 4, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 13-11-2017 को Ms. Deepika Sharma d/o Sh. Amar Nath Sharma, r/o H. No. 5357/1, Modern Housing Complex, Mani Majra, Chandigarh (UT) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण नगर परिषद् ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण नगर परिषद् ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 29-05-2019 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 30-04-2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

नारायण सिंह चौहान,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।